फा.सं. 2/19/2004-आईआर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

तृतीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
मई, 2018

सेवा में,

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अलावा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

विषय: राष्ट्रीयकृत बैंकों में महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक के पदों से संबंधित दिशानिर्देशों के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 22.02.2016 के पत्र सं. 2/19/2004-आईआर का संदर्भ लें। पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, बताया गया था कि दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार इसकी मिश्रित कारोबार के आधार पर समीक्षा की जाएगी और प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में महाप्रबंधकों की संख्या से संबंधित अधिकतम सीमा अगली समीक्षा तक प्रभावी बनी रहेगी।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में महाप्रबंधकों की संख्या पर मौजूदा अधिकतम सीमा की समीक्षा के मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया और इस चरण में संख्या को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

ज्ञानोतोष राय

(ज्ञानोतोष राय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011 - 23748751
ई-मेल: ir@nic.in

प्रतिलिपि:
1. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक
2. वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट